

21-12-93

सरकार परीक्षा उपर। सरकार परीक्षा तहसीलदार लख  
 होकर करौली द्वारा प्रार्थना पर बाबत पाणवली तलब तथा  
 दावा विज्ञो प्रस्तुत किया गया। जिसमे प्रार्थी तहसीलदार  
 लख होकर करौली द्वारा इरव्यास्त पैरा कर निवेदन किया  
 गया है कि इन दावों को विज्ञो करण चाहते हैं। अतः आदेश  
 प्रदान किसे जाए। उक्तानुसार लिखित प्रक्रिया लखित 1908  
 के आदेश 23 नियम 1(1) के आकार पर वार को विज्ञो  
 करण को अनुमति दी जाती है न्यायालय invito benefi-  
 cium non datur के सिद्धान्त ले बाह्य है अतः वार विज्ञो  
 करण के आदेश किसे जाते हैं परन्तु लाभ ही प्रकिय वार  
 राजकीय परीक्षा द्वारा प्रस्तुत किया गया था व अब किज  
 करौली स्पष्ट कारण के विज्ञो किया जा हो है तो न्यायालय  
 भए उचित लक्षणा है कि राजकीय परीक्षा के उच्चधिकारी (मि)  
 के लक्षण के आवश्यक विभागीय कार्यवाही यदि चाली जाये  
 हेतु लाभ जाग उचित होगा। अतः उक्तानुसार तहसीलदार  
 जाये को जाए। आदेश कुले न्यायालय में पुनर्मा भूम।

उपखण्ड अधिकारी  
 करौली (राज०)